न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 02 सन् 2021

पंजीयन दिनांक :– 11.01.2021

1. ईश्वरलाल पिता मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
2. रामुबाई पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
3. लता पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
4. किरण पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
5. मंजु पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
6. कमलाबाई पत्नि मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट्गण/वादीगण

विरुद्ध

1. तुलसीराम पिता बोतलाल जाति भील निवासी खेडा जदीद तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
2. प्रकाश पिता बोतलाल जाति भील निवासी खेडा जदीद तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
3. किशनलाल पिता बोतलाल जाति भील निवासी खेडा जदीद तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

सरोजबाई पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति लोट निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

5. मोहनलाल पिता नारायणलाल जाति जटिया–मृतक के बजाय
   1. बालुलाल पिता मोहनलाल जाति जटिया निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
   2. रतनीबाई पुत्री मोहनलाल जाति जटिया निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ
6. राज्य जरिये सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्ट्गण/वादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
प्रकरण संख्या 196/2016 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.09.2020

उपस्थित :– 1. छोगालाल जाट– अपीलान्ट सं. 1
2. ऋषभ कुमार सेठिया–अधिवक्ता अपीलान्ट सं. 2 से 6
3. अबरार अहमद–रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. राधेश्याम धाकड़–रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3
5. रेस्पोडेन्ट सं. 5/1 व 5/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय **दिनांकः– 11.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 व 6 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा सगवाडिया तहसील निम्बाहेड़ा की सरहद मे साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 195 दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

रेकार्ड रहा है। वादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 4 के आराजी नम्बर 231/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वादी सं. 2 रेस्पोडेन्ट सं. 5 के आराजी नम्बर 274/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा एवं वादी सं. 3 से लगायत 8, अपीलान्टगण के आराजी नम्बर 323/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा दर्ज रेकार्ड रहे है। नवीन बन्दोबस्ती रेकार्ड मे वादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम आराजी नम्बर 403 रकबा 1.18 हैक्टेयर, अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 के आराजी नम्बर 410 रकबा 1.18 हैक्टेयर वादी सं. 2 रेस्पोडेन्ट सं. 5 के नाम आराजी नम्बर 404 रकबा 1.18 हैक्टेयर अंकित कर नवीन नक्शे मे भी अलग-अलग दर्शा रखा है जिससे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 वादीगण ने मिलकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इन्द्राज व नक्शा दुरस्ती के साथ नवीन आराजी नम्बर 410 को बिलानाम दर्ज करने एवं कब्जे के अनुसार अन्य आराजी पर काबिज वादीगण के नाम अदला-बदली बिलानाम आराजी नम्बर 405,407 कुल किता 2 कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर की वादी सं. 2 रेस्पोडेन्ट सं. 5 के नाम खातेदारी घोषणा तथा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण को रहन बह बक्षीश नही करने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का वादपत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 वादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1,4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 6 प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 5/1 व 5/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 की ओर से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रेकार्ड मे खातेदारी की स्थिति व कब्जा काश्त की वास्तविक स्थिति मे अन्तर आ जाने से दुरूस्ती करते हुए कब्जे के अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती करवाई जावे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 26.10.2016 को मौके की वास्तविक कब्जा काश्त की स्थिति रेकार्ड मे लिवाने हेतु आदेश 26 नियम 9 जाप्ता दिवानी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा के माध्यम से मौका रिपोर्ट ली गई, जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के लिये पर्याप्त साक्ष्य थी जिसका उल्लेख किये बगैर अपीलान्ट वादी सं. 3 से 8 व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 वादीगण ने प्रदर्श-1 से लगायत 7 प्रस्तुत किये व मौका रिपोर्ट के आधार पर भी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सं. 4,5 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित था फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह मानते हुए कि अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 अपने वादपत्र को साबित कराने मे असफल रहे है जिसके आधार पर वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विवादित कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 403,404,410 के सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का बाडी द्वारा दिनांक 22.11.2016 को रिपोर्ट तैयार की गई जिसे तहसीलदार निम्बाहेडा ने दिनांक 23.11.2016 को प्रेषित की। उक्त मौका रिपोर्ट मे आराजी नम्बर 403 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 4 के नाम दर्ज होकर मौके पर अपीलान्ट्गण का कब्जा बताया गया। आराजी नम्बर 404 रकबा 1.18 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 5 के नाम दर्ज होकर उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट सं. 4 का कब्जा काश्त बताया गया। आराजी नम्बर 410 रकबा 1.18 हैक्टेयर अपीलान्ट्गण के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति मे उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अवैधानिक होकर अपीलान्ट्गण वादीगण सं. 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया है जो कि धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत आता है फिर भी अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 वादीगण ने घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जो न्यायालय मे चलने योग्य नही था। रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 403 की कब्जेयाबी बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोही की है जो विचाराधीन है। अपनी बहस के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2013 पार्ट-1 पेज 192, आरआरटी 2016 पार्ट-1 पेज 328, आरआरटी 2019 पार्ट-2 पेज 893 प्रस्तुत कर अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील व वादपत्र पोषनीय नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट्गण वादी सं. 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट्गण वादी सं. 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 व 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे घोषणा भी चाही गई। विवादित कृषि आराजी जिसके नवीन आराजी नम्बर 410 होकर उक्त आराजी अपीलान्ट्गण के नाम पर गलत दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त कृषि आराजी पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रतिवादीगण का पूर्वजो से कब्जा चला आ रहा है। बिना कब्जे के अपीलान्ट्गण वादी सं. 3 से 8 किसी प्रकार की घोषणा कराये जाने के अधिकारी नही होने से अपीलान्ट्गण वादी सं. 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3, रेस्पोडेन्ट सं. 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे यह निवेदन किया कि वादीगण की कृषि आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 195 थे। आराजी नम्बर 195 मे से अलग-अलग समय मे अपीलान्ट्गण व रेस्पोडेन्ट सं.4,5 वादीगण के कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटित हुई। वादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 4 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी नम्बर 231/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 403 रकबा 1.18 हैक्टेयर, वादी सं. 2 रेस्पोडेन्ट सं. 5 के आराजी नम्बर 274/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 404 रकबा 1.18 हैक्टेयर एवं अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 के 323/195 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 410 रकबा 1.18 हैक्टेयर अंकित किये गये। नवीन पैमाईश मे साबिक रेकार्ड के अनुसार आराजी नम्बर 195 के नवीन आराजी नम्बर 403,404,410 जिनका रकबा क्रमशः 1.18, 1.18, 1.18 हैक्टेयर दर्ज किया गया। साबिक रेकार्ड के अनुसार ही साबिक नम्बरान के नवीन आराजी नम्बर कायम किये जाकर नक्शे मे दर्ज किये गये है। न्याय निर्णय के लिये इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय राजस्व रेकार्ड मौके की वस्तुस्थिति तलब की गई। जिसमे अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 ने जो तथ्य अपने वादपत्र मे अंकित किये है उनकी पुष्टि मौका रिपोर्ट से नही होती है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे खसरा नम्बर 404 रेस्पोडेन्ट सं. 4 एवं नरेन्द्र कुमार के नाम दर्ज होकर मौके पर उन्ही का कब्जा है। आराजी नम्बर 403 जो कि राजस्व नक्शे के अनुसार मुख्य सड़क पर अवस्थित है, व अन्य आराजीयात मुख्य सड़क से काफी दूर अवस्थित है जिससे अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 जिनके खातेदारी मे आराजी नम्बर 410 अंकित है जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का कब्जा होना पाया गया है जिनके खिलाफ कब्जेयाबी की कार्यवाही नही करते हुए अपने खातेदारी की आराजी को छोड़कर आराजी नम्बर 403 जो कि रेस्पोडेन्ट सं. 4 के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है, को अपने नाम दर्ज कराना चाहते है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपने खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 403 पर अपीलान्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने से कब्जा प्राप्त करने का वादपत्र सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाना अपनी बहस मे निवेदन किया है। अपीलान्टगण वादीगण आराजी नम्बर 410 के बजाय आराजी नम्बर 403 को अपने नाम दर्ज कराये जाने का अधिकारी नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 4,5 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो न्यायोचित व विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण वादी सं. 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

फलस्वरुप अपीलांटगण वादी सं. 3 से 8 की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के प्रकरण संख्या 196/2016 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2020 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 02/2021 /डिक्री

(1) श्री ईश्वरलाल पिता मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
(2) रामुबाई पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
(3) लता पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(4) किरण पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

-अपीलान्ट/वादीगण

बनाम

(1) श्री तुलसीराम पिता बोतलाल जाति भील निवासी खेड़ा जड़ीउ तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
(2) प्रकाश पिता बोतलाल जाति भील निवासी खेड़ा जड़ीउ तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
(3) किशनलाल पिता बोतलाल जाति भील निवासी खेड़ा जड़ीउ तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

-रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा दि. 14-09-2020 प्रकरण सं. 196/2016 अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 11-1-2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल जाट अपी. सं. 1, सक्षम कुमार सेठिया अपी. सं. 2 से 6 रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री अबरार अहमद रेस्पो. सं. 4, श्री राधेश्याम धाकड़ सं. 3, रेस्पो. 5/1 व 5/2 [illegible] व श्री [illegible] राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 6 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा के प्रकरण संख्या 196/2016 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2020 यथावत रखे जाते है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि —— रुपये हैं, —— द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे —— द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 11-1-2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 11-1-2023

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(5) मंजु पुत्री मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

(6) कमलाबाई पत्नि मोहन जाति मोची निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

— अपीलान्टगण/वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(4) सरोज बाई पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति लोट निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

(5) मोहनलाल पिता नारायणलाल जाति जटिया-मृतक के बजाय —

(i) कालुलाल पिता मोहनलाल जाति जटिया निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

(ii) रतनीबाई पुत्री मोहनलाल जाति जटिया निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ।

(6) राज्य जरिये सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

— रेस्पोन्डेन्टगण/वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)